न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 154/2019 दायरा दिनांक : 27.11.2019

उनवान

घनश्याम पुत्र शंकरलाल, जाति कुम्हार, निवासी गजनपुरा, तहसील बारां, जिला बारां जर्ये मुख्तार खास प्रमोद कुमार पुत्र केशरीलाल, जाति मीणा, निवासी खेडली भेडोलिया, तहसील बारां, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां

2– नगर परिषद जर्ये आयुक्त, नगर परिषद, बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री ओ पी मेहता अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री हरिनारायण सिंह अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 2 की ओर से

निर्णय दिनांक : 14.12.2022

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

1 यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या – 115/2016 निर्णय व डिकी दिनांक 30.10.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

2 अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया।

3 वादग्रस्त आराजी ग्राम कालीखेड़ा पटवार हल्का गजनपुरा, तहसील बारां की जमाबंदी सम्वत 2069–2072 की आराजी खसरा नम्बर 54 रकबा 0.21 हेक्टर, खसरा नम्बर 69 रकबा 0.28 हेक्टर कुल 2 किता कुल रकबा 0.49 हेक्टर स्थित है। सैटलमेंट सम्वत 2038–2057 के पूर्व साबिक खसरा नम्बर वर्तमान 54 के पूर्व साबिक खसरा नम्बर 34 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, वर्तमान खसरा नम्बर 69 के साबिक खसरा नम्बर 46 रकबा 10 बिस्वा व खसरा नम्बर 31 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा उक्त आराजी सन् 1977 में परगना अधिकारी, बारां द्वारा खसरा नम्बर 31 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 34 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 46 रकबा 10 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा का आवंटन कर पट्टा गैर खातेदारी वादी के नाम जारी किया।

4 वादी का सन् 1977 से आज तक निरन्तर कब्जा काश्त वादग्रस्त आराजी पर चला आ रहा है। सैटलमेंट कर्मचारियों द्वारा नये नम्बर कायम करते वक्त उक्त आराजी वादी के खातेदारी में दर्ज नहीं की गई तथा सिवायचक खाता सरकार दर्ज किया गया । जबकि आवंटन के पश्चात गैर खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 170 दिनांक 28.09.1977 को खोला जाकर वादी के नाम गैरखातेदारी में इन्द्राज

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★

टंकणकर्ता
कोटा
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

किया जा चुका था। इस प्रकार सैटलमेंट कर्मचारियों ने उक्त भूमि सिवाय चक खाता सरकार दर्ज कर त्रुटि की है।

5 सैटलमेंट कर्मचारियों द्वारा की गई गलती को दुरूस्त कराने व खसरा नम्बर 54 रकबा 0.21 हेक्टर, खसरा नम्बर 69 रकबा 0.28 हेक्टर पर अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने एवं साबिक खसरा नम्बर 31 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा रकबा 0.24 हेक्टर सिवायचक से अपने रकबे की कमी पूर्ति कराकर नया खसरा नम्बर कायम कराने की घोषणा करा पा सकने का अधिकारी है। सैटलमेंट विभाग द्वारा गलत रूप से सिवायचक दर्ज करने के कारण नामान्तरकरण संख्या 255 दिनांक 23.10.2012 को सिवाय चक होने से नगर पालिका, बारां के नाम अन्य खसरा नम्बरान के साथ नगरपालिका बारां को स्थानान्तरित कर दिया गया, जो वर्तमान में नगरपरिषद बारां के नाम है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

6 अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्य का ठीक प्रकार से विवेचन नहीं किया गया, न न्याय की मंशा को समझने का प्रयास किया गया, मनमाना विधि विरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई, जो निरस्तनीय है।

7 ग्राम कालीखेड़ा की आराजी खसरा नम्बर 54 रकबा 0.21 हेक्टर, खसरा नम्बर 69 रकबा 0.28 हेक्टर सैटलमेंट सम्वत 2038–2057 के पूर्व साबिक खसरा नम्बर वर्तमान 54 के पूर्व साबिक खसरा नम्बर 34 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, वर्तमान खसरा नम्बर 69 के साबिक खसरा नम्बर 46 रकबा 10 बिस्वा व खसरा नम्बर 31 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा कायम किया गया है उक्त आराजी दिनांक 26.11.1976 को अपीलांट को आवंटित की गई थी जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 100

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

दिनांक 28.05.1977 को खोला जाकर गैर खातेदारी अपीलांट के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की गई जिसका नोट जमाबंदी संवत 2033–2036 में कॉलम संख्या 9 लगायत 16 में अंकित किया हुआ है तथा खसरा गिरदावरी सम्वत 2038–2041 में कॉलम संख्या 47, 48 में इन्तकाल नं. 100 अपीलांट के नाम दर्ज हुआ है उसका नोट अंकित है जिसमें खसरा नम्बर 34 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा सम्वत 2040 ज्वार व मूंग काश्त किया होना अंकित किया गया है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सैटलमेंट सम्वत 2038–2057 द्वारा की गई त्रुटि को दुरूस्त न कर अपीलांट का वाद निरस्त किया गया है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी पहलुओं पर कोई गौर नहीं किया गया, न न्याय की मंशा को समझने का प्रयास किया गया है जबकि सैटलमेंट को किसी भी प्रकार की कोई ऐन्ट्री परिवर्तन करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं था।

8 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा वाद प्रस्तुत करने पर रेस्पोडेंटगण को तलब किया गया जिस पर प्रतिवादी क्रम 2 द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किया गया जिसके पश्चात तनकीयात कायम की गई।

9 (I) तनकी नं. 1 "क्या आया ग्राम काजीखेड़ा की आराजी खसरा नम्बर 54 रकबा 0.21 हेक्टर, खसरा नम्बर 69 रकबा 0.28 हेक्टर, के सैटलमेंट सम्वत 2038–57 के पूर्व साबिक खसरा नम्बर 34 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 46 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 31 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा कुल 3 किता कुल रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा से वादी को 1976 में आवंटन की गई जो इंतकाल क्रमांक 100 दिनांक 28.05.77 खोला जा चुका था इसलिए अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने का अधिकारी है।" को सिद्ध करने का भार अपीलांट वादी पर था।

(मुहर: भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★)

टंकणकर्ता
(हस्ताक्षर)
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

(हस्ताक्षर)
डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

10 (II) तनकी नं. 2 ''क्या आया किन्तु सिवायचक होने से नगरपालिका, बारां दी गई जो इंतकाल कमांक 255 दिनांक 23.10. 2012 खोला गया जिसे वादी निरस्त कराकर अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने का अधिकारी है।'' उक्त तनकी का विवेचन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गत रूप से किया गया है।

11 (III) तनकी नं. 3 ''क्या आया इंतकाल नं. 255 दिनांक 23.10. 2012 न्यायालय आदेश से खसरा नं. 54 रकबा 0.21 हेक्टर, खसरा नम्बर 58 रकबा 0.16 हेक्टर, खसरा नम्बर 69 रकबा 0.28 हेक्टर, खसरा नम्बर 175 रकबा 0.16 हेक्टर, खसरा नम्बर 178 रकबा 0.14 हेक्टर, खसरा नम्बर 193 रकबा 0.11 हेक्टर भूमि दर्ज हुई, जिसकी कोई अपील नहीं की गई है।'' इसका विवेचन भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत रूप से किया गया है।

12 (VI) तनकी नं. 4 ''क्या आया वाद मियाद बाहर है।'' उक्त तनकी का विवेचन भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत रूप से किया गया है।

13 (VI) तनकी नं. 5 ''क्या आवंटी द्वारा आवंटन की पालना नहीं की गई है ?'' अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत रूप से बनाई गई है जबकि उक्त चीज का न तो वादी के वाद में न प्रतिवादी कम 2 के जवाब में किसी प्रकार का उल्लेख है इसलिए उक्त तनकी बिना किसी आधार के कायम की गई है एवं तनकी सं. 5 का विवेचन गलत किया गया है।

14 अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 30.10.2019 निरस्त किया जावे।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

15 अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

16 पैरोकार सरकार ने कथन किया कि वादग्रस्त भूमि सन् 1977 में आवंटित हुई और गैर खातेदारी का इंतकाल कमांक 170 दिनांक 28.09.1977 दर्ज हुआ तो उसका तत्काल समय ही अमल दरामद क्यों नहीं किया गया ? इसका कोई कारण नहीं बताया गया है। वादी द्वारा सन् 1977 का आवंटन एवं गैर खातेदारी बताकर पेश किया है जिसे 30 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है। वर्तमान में दोनों खसरा नम्बर 54 रकबा 0.21 हेक्टर, खसरा नम्बर 69 रकबा 0.28 हेक्टर खाता नगर पालिका, बारां के नाम इंतकाल नम्बर 255 दिनांक 23.10.2012 से दर्ज किया जा चुका है। अतः वादग्रस्त आराजी पर वादी का कब्जा काश्त नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

17 हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । बिन्दु संख्या 1 अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध आर्डरशीट दिनांक 26.04.2017 से स्पष्ट है कि पी.डब्ल्यू 1 से पी.डब्ल्यू. 3 साक्ष्य वादी के शपथ पत्र लिये गये। जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है। इस कारण से यह बिन्दु भी खारिज किया जाता है।

18 बिन्दु संख्या 2 अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांट द्वारा वादपत्र में वादग्रस्त भूमि दिनांक 26.11. 1976 को आवंटित होना बताया जा रहा है जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध आवंटन आदेश दिनांक फरवरी 1977 को आवंटित हुई है। इस कारण से यह बिन्दु भी खारिज किया जाता है।

19 बिन्दु संख्या 3 अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

20 (I) तनकी नं. 1 इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी ने अपने पक्ष के समर्थन में एक्जीविट ए 1 पट्टा गैरखातेदारी प्रस्तुत किया । वादी ने तत्समय की जमाबंदी एवं मिलान क्षेत्रफल पेश नहीं किया तथा सैटलमेंट की जमाबंदी में भी वादग्रस्त वादी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं है। इस कारण से यह बिन्दु भी खारिज किया जाता है।

21 (II) तनकी नं. 2 इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी ने अपने कब्जे बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये। यदि सैटलमेंट ने वादी का नाम रेकार्ड में दर्ज नहीं किया था तो वादी को तत्समय ही चाराजोही करनी चाहिए थी । इस कारण से यह बिन्दु भी खारिज किया जाता है।

22 (III) तनकी नं. 3 इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत एक्जीविट 5 नकल नामान्तरकरण संख्या 255 दिनांक 23.10.2012 के कॉलम नं. 14 में अंकित है टिप्पणी अनुसार भूमि तहसील आदेश कमांक राजस्व/12/1827–32 दिनांक 19.10.12 द्वारा नगर पालिका बारां को हस्तान्तरित की गई है जिसके विरूद्ध वादी ने कोई चाराजोही नहीं की। इस कारण से यह बिन्दु भी खारिज किया जाता है।

23 (VI) तनकी नं. 4 इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। वादी को वादग्रस्त भूमि दिनांक 26.11.1976 को आवंटित की गई थी तथा सैटलमेंट के दौराने वादग्रस्त भूमि सिवायचक दर्ज हुई जिसके विरूद्ध वादी ने किसी भी न्यायालय में कोई चाराजोही नहीं की । इस कारण से यह बिन्दु भी खारिज किया जाता है।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

टंकणकर्ता

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

24 (VI) तनकी नं. 5 इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। वादी द्वारा विवादित आराजी पर अपने कब्जे के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है। इस कारण से यह बिन्दु भी खारिज किया जाता है।

25 उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 30.10.2019 यथावत रखा जाता है ।

26 निर्णय आज दिनांक 14.12.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

14/12/2022

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी * कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

घनश्याम पुत्र शंकरलाल, जाति कुम्हार, निवासी गजनपुरा, तहसील बारां, जिला बारां जर्ये मुख्तार खास प्रमोद कुमार पुत्र केशरीलाल, जाति मीणा, निवासी खेडली भेडोलिया, तहसील बारां, जिला बारां

..........**अपीलान्ट्स**

बनाम

1– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां
2– नगर परिषद जर्ये आयुक्त, नगर परिषद, बारां

.... **रेस्पोडेंट**

अपील नं. **154/2019** एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, बारां**
मु.द.नं0 **115/2016** निर्णय व डिक्री दिनांक – **30.10.2019**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **19** माह **10** सन् **2022**

हाजरी **श्री ओ पी मेहता II** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट की ओर से एवं **श्री हरिनारायण सिंह** अभिभाषक रेस्पोडेन्ट नं. 2 की ओर से उपस्थित

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.10.2019 यथावत रखा जाता है ।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **14** माह **12** सन् **2022** को जारी किया गया ।

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)